अपील सूचना अधिकार संख्या 111/2021 (GCMS 2021/172)(आईटीआई पोर्टल नं. 212909826103489) सुरेश कौल पुत्र मनमोहन कौल, वार्ड नं 32, मिनि मार्केट, सूरतगढ मोबाईल नं. 63501–27668 बनाम उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ

25.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलाथी सुरेश कौल स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी सुरेश कौल ने उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ से सूचना का अधिकार अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 16.08.2021 से चार बिन्दुओं की सूचना दिनांक चाही थी, जो उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी सुरेश कौल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2021 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी, सूतरगढ से निम्न **सूचना चाही थी:**

1. आपके अधिनस्थ कार्यालय द्वारा जारी NIT क्रमांक / निमार्ण /2021–22/2591–94 दिनांक 05.05.21 की क्रम संख्या 15 में वार्ड नं. 1 में तथाकथित मदरसा की चार दीवारी, मिटटी भर्ती व इन्टरलोकिंग कार्य (राशि 493624/–) के संबध में नियमानुसार कार्यवाही के तहत कार्य करवाने वास्ते–मदरसा संस्था द्वारा (जहां NIT के अनुसार कार्य किया जाना है) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संस्था के रजिस्ट्रेशन आदि समस्त दस्तावेजो की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करावे।
2. पालिका द्वारा मदरसे को [illegible] टेण्डर जारी कर कार्य करवाने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज उक्त मदरसे की [illegible] पटटा जो स्वयं मदरसा संस्था द्वारा प्रस्तुत किया गया की प्रमाणित फोटो प्रति उपलब्ध करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

3. उक्त कार्य का ऐस्टीमेट मौका स्थिति रिपोर्ट, फोटो, ग्राफी आदि जिस अधिकारी द्वारा तैयार किया गया उस तकनीकी अधिकारी का नाम पदनाम व पूरा पता उपलब्ध करवाये।
4. मदरसे को चार दिवारी, मिटी भर्ती व इन्टर लोकिंग कार्य की ऐस्टीमेट, जी स्डूल व वर्क आर्डर की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने का श्रम करे।

उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ ने अपने पत्र क्रमांक सूकाअ/2021/2006 दिनांक 24.11.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

प्रार्थी सुरेश कौल वार्ड नं. 32, मिनी मार्केट, सूरतगढ का सूचना का अधिकार 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 25.08.2021 करे प्राप्त हुआ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुवार चाही गई सूचना का सम्बन्ध इस कार्यालय से न होकर नगरपालिका सूरतगढ से होने के कारण प्रार्थी का सूचना का अधिकार 2005 के तहत दिनांक 25.08.2021 को प्राप्त आवेदन पत्र मूल ही मय आईपीओ प्रार्थी को नियमानुसार समयावधि में प्रार्थी का सूचना उपलब्ध करवाने हेतु इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/सूकाअ/2021/1398 दिनांक 26.08.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ़ का हस्तान्तरित किया जा चुका था। जिसकी [illegible] प्रार्थी को भी पत्र सं. 1399 दिनांक 26.08.2021 [illegible] जिसका प्रार्थी सुरेश कौल द्वारा अपील प्रार्थना पत्र में [illegible] किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका सूरतगढ द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नियमानुसार उपलब्ध करवाई जानी थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का इस कार्यालय से कोई सरोकार नही था। प्रार्थी द्वारा अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पक्षकारों के कुसंयोजन से ग्रसित होने के कारण सव्यय निरस्त करने की मेहरबानी फरमावे।

-sd-
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

चूंकि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक सूकाअ/2021/1398 दिनांक 26.08.2021 से प्रार्थी का **प्रार्थना पत्र अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ़ को हस्तान्तरित किया है और इसकी प्रति प्रर्थी को भी सूचनार्थ भिजवाई जा चुकी है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष ढंग से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है इस दृष्टिकोण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा उक्तानुसार जो उत्तर दिया गया है, वह सही **है**, जिसमें किसी प्रकार के हस्ताक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी यदि उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ के जवाब से असंतुष्ट है तो **वह अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, सूरतगढ के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।** यहां से अपील निस्तारित की जाती है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार मीहान)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:47 IST
Reason: SelfAttested